महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या- 85 /आठ-1-23-93विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

A S, O S D (G/S), FC, CE

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

4. नियंत्रक अधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0।

19.1.23

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक: 19 जनवरी, 2023

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में "वरीयता नीति" की व्यवस्था से संबंधित शासनादेश दिनांक 11.07.2018 में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में "वरीयता नीति" की व्यवस्था से संबंधित शासनादेश संख्या-1022/आठ-1-18-93विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) में भारत सरकार की गाइडलाईन के क्रम में वरीयता निर्धारित की गयी है।

2- विभागीय समीक्षा बैठक में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में 'वरीयता नीति' की व्यवस्था संबंधी शासनादेश दिनांक-11.07.2018 के इस बिन्दु को स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया कि उक्त शासनादेश में जो श्रेणीवार वरीयता निर्धारित की गयी है संबंधित श्रेणी के पात्र लाभार्थियों की अनुपलब्धता में क्या भवनों को अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को आवंटित किया जा सकता है?

3- प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 11.07.2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) में भारत सरकार की गाइडलाईन के क्रम में वरीयता निर्धारित की गयी है, जिससे सभी श्रेणी को लाभ मिल सके। यदि पर्याप्त अवसर (न्यूनतम 03 अवसर) प्रदान किये जाने के बाद भी किसी श्रेणी

A-S

सचिव
19/1/23

O.S.D (G)
24/1/23

Sri Rajeev Goel | Sri Vineet Gupta

.....2

के पात्र लाभार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटित किये जाने पर कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है, जिससे कि निर्मित भवन अप्रयुक्त न रह जाए।

4— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्णय को लागू करने की कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस आशय के साथ कि कृपया अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(5) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नीति को समस्त संबंधित को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
(7) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।